

DISCOVERY OF A MATERIAL WHICH HELPS IRON TO MELT

*98. SHRI V. K. DHAGE: Will the Minister of SCIENTIFIC RESEARCH AND CULTURAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a material has been discovered by the Archaeological Department at Ujjain which, if mixed with iron, helps to melt it instantaneously; and

(b) if so, whether any tests have been carried out in this regard?.

THE MINISTER OF SCIENTIFIC RESEARCH AND CULTURAL AFFAIRS (SHRI HUMAYUN KABIR): (a) No, Sir, The material found is Calcite which is commonly used as a flux in the melting of iron ore.

(b) Does not arise.

SHRI V. PRASAD RAO: Is it a fact that a material has been discovered to soften and melt the hearts of Ministers?

SHRI HUMAYUN KABIR: I think the hon. Member is in possession of that secret.

MR. CHAIRMAN: The hon. Member is utterly irrelevant and you need not answer.

*99 and *100. [For answers vide cols. 835-839 infra.]

केन्द्रीय सरकार के अधीन क्लास १ और क्लास ४ के अधिकारियों के रूप में सेवा नियुक्त आदिवासी, हरिजन और पिछड़ी जाति के व्यक्ति

*१०१. श्री राम सहाय : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अधीन क्लास १ सर्विसेज में १९५७-५८ के अन्त में कितने व्यक्ति कार्य कर रहे थे और उनमें आदिवासी, हरिजन तथा पिछड़ी जाति के लोगों की संख्या कितनी थी ; और

(ख) उसी वर्ष के अन्त में क्लास ४ के कर्मचारियों के रूप में काम करने वाले ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी थी ?

†[ADIVASIS, HARIJANS AND PERSONS OF BACKWARD CLASSES EMPLOYED AS CLASS I AND CLASS IV OFFICERS UNDER THE CENTRAL GOVERNMENT

*101. SHRI RAM SAHAI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of Class I employees working under the Central Government at the end of 1957-58, and the number of Adivasis, Harijans and persons belonging to the Backward Classes amongst them; and

(b) the number of such persons working as Class IV employees at the end of the same year?]

गृह-कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बी० एन० दातार) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें भारत सरकार के मन्त्रालयों और उनके अटैच्ड और सर्बाडिनेट दफ्तरों में क्लास I और क्लास IV के पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या दी हुई है। [देखिये परिशिष्ट २१, अनुपत्र संख्या १३] इनमें से कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के हैं, यह संख्या भी इस विवरण में दी गई है। अन्य पिछड़े वर्गों को भारत सरकार के मातहत नौकरियों में कोई स्पेशल रिप्रैजेंटेशन नहीं दिया जाता है। इस विवरण में पहली जनवरी १९५७ तक की स्थिति बताई गई है और फिलहाल यही अन्तिम सूचना हमारे पास है।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI B. N. DATAR): (a) and (b). A statement showing the total number of

†[] English translation.